संख्या– 2254 / 1–10–2008–12(72) / 2008

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झॉसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊः दिनांक 21 अप्रैल 2008

विषय :– प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों / क्षेत्र में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को सामुदायिक रसोई की व्यवस्था हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 4184 / 1–11–2007, दिनांकः 26–12–2007 के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों / क्षेत्र में दिनांकः 30 जून, 2008 तक निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को सामुदायिक रसोई की व्यवस्था हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

कमांक	जनपद / क्षेत्र का नाम	आवंटित धनराशि (रू0में)
1.	झॉसी	50,00,000 / –
2.	जालौन	50,00,000 / –
3.	ललितपुर	50,00,000 / –
4.	महोबा	50,00,000 / –
5.	बांदा	50,00,000 / –
6.	चित्रकूट	50,00,000 / –
7.	हमीरपुर	50,00,000 / –
8.	मिर्जापुर	50,00,000 / –
9.	सोनभद्र	50,00,000 / –
10.	विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर (कानपुर नगर)	15,00,000 / –
	योग :	**4,65,00,000 / –**
	(रूपये चार करोड़ पैसठ लाख मात्र)	

A.Allt.2008

Mr Bcu

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245– प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3. निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों की आर्थिक तंगी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों/क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करके ऐसे व्यक्तियों को भोजन की सुविधा दिनांकः 30 जून, 2008 तक प्रदान की जाय।

4. सामुदायिक रसोई के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि आपदा राहत निधि की नियमावली के मद संख्याः1(द) ''वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता रू0 20/– प्रति वयस्क और रू0 15/– प्रति अवयस्क तथा मद संख्याः 2 ''अतिरिक्त पुष्टाहार रू0 2/– प्रति दिन प्रति व्यक्ति'' की दर से प्रदान की जायेगी।

5. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी.आई.–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित मद में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए समर्पित कर दिया जाए।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

A.Allt.2008

संख्या –2254(1)/1–10–2008–12(72)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झाँसी, चित्रकूट धाम, मिर्जापुर तथा कानुपर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियां)/राजस्व अनुभाग –11
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।